संचिका संख्या–7 / बजट–46–20 / 2023... –......332 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ,पटना।

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक– 03/01/2025

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2023–24 में नालन्दा जिला के करायपरशुराय प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाजितपुर के भवन निर्माण के अतिरिक्त PHE Work, Electrical, Rain Water Harvesting, Approach Road, Boundary wall का निर्माण तथा Medical Equipment एवं फर्निचर की आपूर्त्ति हेतु, BMSICL, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर, रु० 2,49,22,800/–(रुपये दो करोड़ उनचास लाख बाइस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में द्वितीय किस्त के रूप में कुल रू० 1,00,00,000/– (रूपये एक करोड़) मात्र की व्यय निमित विमुक्ति की स्वीकृति ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध में कहना है कि नालन्दा जिला के करायपरशुराय प्रखंड अन्तर्गत वाजितपुर ग्राम मे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाजितपुर के भवन निर्माण हेतु हेतु बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत संरचना निगम, पटना के द्वारा उपलब्ध कराये गये रु० 2,49,22,800/–(रुपये दो करोड उनचास लाख बाइस हजार आठ सौ) मात्र के तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुरूप विभागीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें भवन निर्माण के अतिरिक्त PHE Work, Electrical, Rain Water Harvesting, Approach Road, Boundary wall का निर्माण तथा Medical Equipment एव फर्निचर की आपूर्त्ति का कार्य कराया जाना है।

2– उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 मे नालन्दा जिला के करायपरशुराय प्रखंड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वाजितपुर के भवन निर्माण के अतिरिक्त PHE Work, Electrical, Rain Water Harvesting, Approach Road, Boundary wall का निर्माण तथा Medical Equipment एवं फर्निचर की आपूर्त्ति हेतु, BMSICL, पटना द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर, रु० 2,49,22,800/–(रुपये दो करोड उनचास लाख बाइस हजार आठ सौ) मात्र की योजना (स्कीम) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्राक–165(7),दिनाक–07.08.2023 द्वारा प्रदान की गयी है।

3– महाप्रबधक (वित्त एवं लेखा), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक–714, दिनाक–02.05.2024 द्वारा उक्त योजना हेतु की गयी राशि की मांग के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू० 50,00,000/– (रूपये पचास लाख) मात्र की व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–53(7), दिनाक–28.05.2024 द्वारा प्रदान की गयी है। पुनः वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में द्वितीय किस्त के रूप में कुल रू० 1,00,00,000/– (रूपये एक करोड) मात्र की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य विभागीय राज्यादेश स०–165(7), दिनांक–07.08.2023 मे निहित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा।

5– उक्त कार्य मांग सं0–20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0109–स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड–20-4210020510109, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबधित राशि/अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

6— इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे ।

7— अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----------- में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8— बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत सरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9— राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सख्या—2561/वि0(2), दिनाक—17 04.98, 2880/वि0(2), दिनाक—06 05 06, 2938/वि0(2), दिनांक—08 04 08, 3758/वि0, दिनाक—31 05 2017 एव 12888/वि०, दिनाक—03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

11— प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

12— प्रारूप में आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या—7/बजट—46 -20/2023 के पृष्ठ—15/टि0 में प्राप्त है ।

13— यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

14— संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

3.1.25

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक—7/बजट—46—20/2023— 332(7)/स्वा0, पटना, दिनांक— 03/01/2025

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव —सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—7 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3.1.25

सरकार के अपर सचिव ।

Alpana